उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2

संख्या-75/2022/I/182640/2022/71-2002/36/2019

लखनऊः दिनांक 27 जून, 2022

कार्यालय-ज्ञाप

मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम-1994 (यथा संशोधित 1995, 2011) में विहित प्राविधानों तथा मानव अंग और उतक प्रतिरोपण नियम-2014 की धारा 13 के अनुसार प्रदेश में मानव अंग एवं उतक प्रत्यारोपण हेतु दानकर्ता (Doner) एवं प्राप्तकर्ता (Receiver) द्वारा किये जाने वाले आवेदनों पर विचार कर निर्णय लिये जाने तथा मानव अंग प्रत्यारोपण की प्रक्रिया को पारदर्शी एवं सुव्यवस्थित बनाये जाने हेतु पूर्व में निर्गत एतद्संबंधी आदेशों को अवक्रमित करते हुये प्रदेश के समस्त जनपदों में स्थायी जिला प्राधिकार समिति का गठन निम्नानुसार किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(क)	जिले के मुख्य या प्रमुख अस्पताल में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के स्थानापन्न रूप में कार्य करने वाला कोई चिकित्सा व्यवसायी या कोई अन्य समतुल्य पद	**अध्यक्ष**
(ख)	ऐसे चिकित्सा व्यवसायियों के पूल से चुने जाने वाले दो ज्येष्ठ चिकित्सा व्यवसायी जो संबंधित जिले में निवास करते है और जो प्रतिरोपण दल के भाग नहीं है	**सदस्य**
(ग)	उच्च सत्यनिष्ठा, सामाजिक प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता वाले दो व्यक्ति (अधिमानतः एक महिला) जिन्होंने उच्च पंक्ति के सरकारी पदों जैसे उच्चतर न्यायपालिका पुलिस सेवा के ज्येष्ठ काडर में सेवा की या जिसने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालय में उपाचार्य या आचार्य के रूप में सेवा की हो या स्वनियोजित ख्यातिप्राप्त वृत्तिक जैसे अधिवक्ता, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, भारतीय चिकित्सा संगम के डाक्टर, ख्याति प्राप्त गैर सरकारी संगठन या विख्यात सामाजिक कार्यकर्ता	**सदस्य**
(घ)	सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से संबंधित जनपद के अथवा निकटतम राजकीय या स्वशासी मेडिकल कालेज/चिकित्सा संस्थान के प्रधानाचार्य/निदेशक द्वारा नामित आचार्य (पदेन)	**सदस्य**
	महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें की ओर से नामित संबंधित जनपद के अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (पदेन)	**सदस्य**

2- उपर्युक्तानुसार गठित की जाने वाली जिला प्राधिकार समिति के कार्य एवं उत्तरदायित्व निम्नवत् होंगे:-

(1) किसी मानव अंग के निकाले जाने और प्रतिरोपण के लिये अनुमोदन प्रदान करने हेतु दाता और प्राप्तकर्ता द्वारा संयुक्त रूप से जिला प्राधिकार समिति के समक्ष किये गये आवेदन पर प्राधिकार समिति द्वारा मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम-1994 (यथा संशोधित 1995, 2011) तथा मानव अंग और उतक प्रतिरोपण नियम-2014 में विहित प्राविधानों के अनुसार विचार कर निर्णय लिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(2) जिला प्राधिकार समिति द्वारा मानव अंग प्रत्यारोपण संबंधी आवेदनों पर लिये गये निर्णयों की मासिक सूचना समुचित प्राधिकारी महानिदेशक , चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण , उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेगी।।

(3) जिला प्राधिकार समिति के अध्यक्ष/मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा नामित 02 वरिष्ठ चिकित्सक एवं 02 सामाजिक ख्याति प्राप्त अथवा प्रतिष्ठित सेवा से निवृत्त व्यक्तियों को समिति के सदस्य के रूप में अनुमोदित करने हेतु संबंधित मण्डलायुक्त अधिकृत होंगे।

(4) प्रदेश के समस्त जनपदों में मुख्य चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता में गठित होने वाली जिला प्राधिकार समिति में महानिदेशक , चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें के प्रतिनिधि के रूप में नामित अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (पदेन) संबंधित जनपद में गठित होने वाली अस्पताल आधारित प्राधिकार समितियों में भी महानिदेशक , चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की ओर से नामित पदेन सदस्य होंगे।

(5) जिला प्राधिकार समिति में सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से संबंधित जनपद के अथवा निकटतम राजकीय या स्वशासी मेडिकल कालेज/चिकित्सा संस्थान/विश्वविद्यालय के प्रधानाचार्य/ निदेशक/कुलपति द्वारा किसी आचार्य (पदेन) को सदस्य नामित किया जायेगा।

(6) जिला प्राधिकार समिति के निर्णय के विरूद्ध अपील का निस्तारण राज्य प्राधिकार समिति द्वारा किया जायेगा।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक उपर्युक्तानुसार :-</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
5. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0 लखनऊ।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
7. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
8. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0।
9. प्रधानाचार्य समस्त राजकीय एवं स्वशासी मेडिकल कालेज, उ0प्र0।
10. निदेशक/कुल सचिव समस्त चिकित्सा संस्थान/विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मुमताज अहमद सिद्दीकी)
अनुसचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in